न्यायालय: अपर सेशन न्यायाधीश, बाँसवाड़ा राजस्थान

पीठासीन अधिकारी - डॉ. सरोज सींवर [जिला न्यायाधीश संवर्ग]

फौजदारी अपील संख्या 24/2021

भवानीसिंह व अन्य बनाम राज्य

अपील अंतर्गत धारा 374 दण्ड प्रक्रिया संहिता

आदेशिका

दिनांकः 05.06.2026

अपीलार्थीगण अभियुक्तगण भवानीसिंह, गुलाब मय अधिवक्ता श्री रवि पुरी उपस्थित। प्रत्यर्थी राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

यह फौजदारी अपील अपीलार्थीगण अभियुक्तगण 1-भवानीसिंह पुत्र गब्बाजी बंजारा, 2-गुलाब पुत्र बंशी बंजारा निवासी समोड़ा पुलिस थाना झल्लारा जिला उदयपुर राजस्थान की ओर से न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़ी जिला बांसवाड़ा द्वारा नियमित दांडिक प्रकरण संख्या 26/2016 राज्य बनाम भवानीसिंह व अन्य में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 01.02.2021 से असंतुष्ट व व्यथित होकर श्रीमान सेशन न्यायालय, बांसवाड़ा के समक्ष को पेश की गई। उक्त आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 5/8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995 के अपराध में एक वर्ष के कठोर कारावास व रुपये 5000/- अर्थदण्ड तथा धारा 6/8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995 के अपराध में एक वर्ष के कठोर कारावास व रुपये 5000/- अर्थदण्ड एवं धारा 09 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन

प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995 के अपराध में छह माह के कठोर कारावास व रुपये 3000/- अर्थदण्ड से एवं धारा 3/181 मोटर यान अधिनियम के अपराध में रुपये 500/- अर्थदण्ड से तथा उक्त अर्थदण्ड की अदायगी में व्यतिक्रम पर प्रत्येक अभियुक्त को क्रमशः 3 माह, 3 माह, 1 माह एवं 10 दिवस के अतिरिक्त साधारण से दंडित किया गया।

उक्त अपील श्रीमान सेशन न्यायालय, बाँसवाड़ा द्वारा वास्ते सुनवाई, निस्तारण इस न्यायालय में अंतरित की जाने पर दिनांक 05.02.2021 को इस न्यायालय में दर्ज कर सुनवाई की गई।

दौराने बहस अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि को चुनौती नहीं देना चाहा एवं केवल दण्डादेश के संबंध में बहस करना जाहिर किया तथा चूंकि अपीलार्थीगण की ओर से योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में की गई अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की दोषसिद्धि को चुनौती नहीं देना जाहिर किया है, ऐसे में अपील में अब दोषसिद्धि के बिन्दु पर कोई विवेचना नहीं की जाकर, केवल न्यायालय द्वारा उक्त आक्षेपित आदेश में पारित दण्डादेश के संबंध में ही बहस सुनी जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>दण्डादेश के संबंध में उभयपक्ष को सुना गया।</u>

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में कुल 10 बैल पकड़े गए थे, जिनमें से किसी भी पशु के कोई गम्भीर उपहति कारित नहीं थी। 05 बैलों को साधारण खरोंचे थीं। जो अमूमन झाड़ियों से निकलने या आपस में रगड़ने से पशुओं में आना स्वाभाविक है।

अपीलार्थीगण लम्बे समय से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं । अपीलार्थीगण का यह प्रथम अपराध है, पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं रहा है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध पारित दण्डादेश को अपास्त किया जाकर, उन्हें परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिए जाने का विरोध कर आक्षेपित दंडादेश यथावत रखने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के तर्कों पर मनन कर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आक्षेपित निर्णय/दण्डादेश का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि इस प्रकरण में कुल 10 बैल अभियुक्तगण से अवैध रूप से परिवहन करते हुए जप्त किए गए थे, लेकिन चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार किसी भी पशु के कोई गम्भीर उपहति कारित नहीं थी। 05 बैलों के तो कोई चोटें ही नहीं थी, वहीं 05 बैलों को साधारण प्रकृति की उपहतियाँ थी। चूंकि अपीलार्थीगण अभियुक्तगण द्वारा दोषसिद्ध पर कोई बहस नहीं की गई है और इस प्रकरण में वे 11 वर्षों से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं तथा पत्रावली पर अपीलार्थीगण अभियुक्तगण की कोई पूर्व दोषसिद्धि साक्ष्य मौजूद नहीं है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों-परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थीगण के विरूद्ध आरोपित अपराध में विहित दण्ड की मात्रा को ध्यान में रखते हुए तथा पत्रावली पर उनकी पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं होने एवं 11 वर्ष अन्वीक्षा अवधि आदि को भी दृष्टिगत रखते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध पारित दण्डादेश को अपास्त किया जाकर, अपीलार्थीगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण 1-भवानीसिंह पुत्र गब्बाजी बंजारा, 2-गुलाब पुत्र बंशी बंजारा निवासी समोड़ा पुलिस थाना झल्लारा जिला उदयपुर राजस्थान की ओर से प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 01.02.2021 में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की अपराध अंतर्गत धारा 5/8, 6/8, 9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995 एवं धारा 3/181 मोटर वाहन अधिनियम में की गई दोषसिद्धि को पुष्ट किया जाता है, परन्तु दण्डादेश को अपास्त करते हुए, अपीलार्थीगण अभियुक्तगण को तुरंत दण्डादिष्ट करने की बजाय, परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ इस शर्त पर दिया जाता है कि यदि **प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त** इस आदेश की दिनांक से 01 माह के भीतर विचारण न्यायालय के संतुष्टिप्रद 01 वर्ष की अवधि के लिये 20 हजार रुपये का सदाचरण बाबत बंधपत्र तथा इसी कदर राशि का जमानतनामा इस आशय का पेश कर तस्दीक करा दें कि उक्त अवधि में अपीलार्थी सदाचरण रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर दण्डादेश भुगतने हेतु उपस्थित आयेगा, तो अपीलार्थी अभियुक्त को परिवीक्षा पर रिहा कर दिया जावे। साथ ही प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5(c)(क) के अंतर्गत अभियोजन व्यय स्वरूप रुपये 10,000/- अक्षरे दस हजार रुपये दोनों अपीलार्थीगण अभियुक्तगण पर कुल रुपये 20,000/- अक्षरे बीस हजार रुपये की अभियोजन व्यय राशि भी अधिरोपित की जाती है, जो विचारण न्यायालय में जमा कराई जाए।

अपीलार्थीगण अभियुक्तगण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अपील होने की स्थिति में धारा 437ए दंड

प्रक्रिया संहिता के तहत राशि 10,000/-रुपये के जमानत-मुचलके पेश कर तस्दीक कराने हेतु आदेशित किया जाता है।

इस आदेश की सत्यप्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली इस निर्देश के साथ भिजवाई जाती है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा आदेशानुसार परिवीक्षा के जमानत-मुचलके एवं अभियोजन व्यय राशि आज दिनांक 05.06.2026 से एक माह की अवधि में जमा नहीं करवाने की सूरत में आक्षेपित निर्णय दिनांक 01.02.2021 में पारित दण्डादेश प्रभावी रहेगा और दण्डादेश को भुगतावाने की नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

आदेशानुसार अपीलार्थीगण अभियुक्तगण की ओर से धारा 437ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत राशि 10,000/-रुपये के जमानत-मुचलके पेश किए जो बाद जांच तस्दीक किए गए। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सरोज सींवर)